Higher Education

Dr. Mukesh Pancholi

RTE Act, 2009 –

शिक्षा का अधिकार (RTE) Act, 2009 अर्थव्यवस्था के पिछड़े वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार देता है।

अधिनियम के बारे में –

1. 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, यह अनु. 21A के माध्यम से 86वें संवि. संशो. अधिनियम के अनुसार कहा गया है। शिक्षा का अधिकार इस संशोधन को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।

Dr. Mukesh Pancholi

2. सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे और स्कूलों का प्रबंधन SMC 'स्कूल प्रबंध समिति' द्वारा किया जाएगा। निजी स्कूल अपने स्कूलों में कम से कम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के प्रवेश देंगे।
3. प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन गुणवत्ता सहित प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं की निगरानी के लिए किया जाएगा।

RTE, Act 2009 की मुख्य विशेषताएं –

1. 6 से 14 वर्ष वर्ग के भारत के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा।
2. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा।

Dr. Mukesh Panchal

3. यदि 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे को किसी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया है, या वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाया तो उसे उसकी उम्र अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा व दूसरे बच्चों के बराबर रहने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी निश्चित समय सीमा में प्राप्त करने का अधिकार होगा।
4. प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण – प्रारंभिक शिक्षा के प्रवेश के उद्देश्य से, बच्चे की आयु का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। मृत्यु व विवाह पंजीकरण अधि., 1856 या इस प्रकार के अन्य दस्तावेज के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। किसी भी बच्चे को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

Dr. Mukesh Panchal

5. शिक्षा में भर्ती होने वाला बच्चा 14 वर्ष के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त शिक्षा का हकदार होगा।
6. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों को एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
7. सभी निजी स्कूलों में कक्षा 1 से प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण किया जाना है।
8. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जरूरी है।
9. स्कूल के शिक्षकों को 5 साल के भीतर पर्याप्त पेशेवर डिग्री की आवश्यकता होगी अन्यथा नौकरी छूट जाएगी।

Dr. Mukesh Pancholi

10. स्कूल के बुनियादी ढांचे (जहां कोई समस्या है) को हर 3 वर्ष में सुधारने की आवश्यकता है, अन्यथा मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
11. वित्तीय बोझ राज्य व केन्द्र सरकार के बीच साझा किया जाएगा।

इतिहास –

संविधान का अनु. 21A - 86वां संशोध Act. 2002

दिसम्बरं 2002 –

अनु. 21A (भाग III) के माध्यम से 86वां संशो. अधिनियम (2002) मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाना चाहता है।

Dr. Mukesh Pancholi

अक्टूबर, 2003 –

नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2003 तैयार किया गया, अक्टूबर, 2003 में बेवसाइट पर पोस्ट व लोगों के सुझावों का आमंत्रण।

2004 –

प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा का अधिकार विधेयक 2004 का संशोधित मसौदा तैया किया।

June 2005 →

CABE समिति ने 'शिक्षा का अधिकार' मसौदा तैयार कर MHRD को सौंपा। MHRD ने इसे NAC को भेजा, जहां अध्यक्षा श्रीमति सोनिया गांधी है। इस विधेयक को PM को भेजा।

Dr. Mukesh Pancholi

14 July 2006 –

वित्त व योजना आयोग द्वारा वित्त की कमी के कारण अस्वीकार कर दिया गया।

2009 –

नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 में बच्चों का अधिकार 2009 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। अगस्त, 2009 में राष्ट्रपति की सहमति।

1 अप्रैल, 2010 से अनु. 21A – RTE Act लागू होते है।

Dr. Mukesh Pancholi

के. बी. पंवार समिति, 2012 –

वर्ष 2012 में यूजीसी ने के. वी. पंवार समिति की स्थापना की। इस समिति ने उच्च शिक्षा में पीपीपी सुनिश्चित करने के लिए (4) मॉडल प्रस्तुत किए, जो कि निम्न है –

1. आधारभूत ढांचा मॉडल –

इसमें निजी क्षेत्र आधारभूत ढांचे में निवेश करता है, जबकि सरकार संचालन व प्रबंधन का कार्य करती है व निवेश के बदले में निवेशक को सरकार वार्षिक भुगतान करती है।

Dr. Mukesh Pancholi

2. आउटसोर्सिंग मॉडल -

इसमें निजी क्षेत्र आधारभूत ढांचे में निवेश करती है व साथ-साथ संस्थान के संचालन व प्रबंधन के लिए भी उत्तरदाई होता है, जबकि सरकार केवल निर्दिष्ट सेवाओं के लिए निजी निवेशकों को भुगतान करती है।

3. इक्विटी या हाइब्रिट मॉडल –

इसके तहत आधारभूत ढांचे में सरकार व निजी क्षेत्र दोनों निवेश करते है व दोनों ही संचालन व प्रबंधन करते है।

4. रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल –

इसके तहत सरकार आधारभूत ढांचे में निवेश करती है, जबकि संचालन व प्रबंधन का कार्य निजी क्षेत्र करते है।

Dr. Mukesh Pancholi

जस्टिस जे. एस. वर्मा समिति, 2012 –

शिक्षकों की क्षमता की समय-समय पर जांच।

जे. एस. वर्मा आयोग ने रिपोर्ट में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने को सिफारिश की है।

आयोग ने कहा है कि केन्द्रीय पात्रता परीक्षा (शुरु 2011 से) व राज्यों की पात्रता परीक्षा (STET) में बड़ी संख्या में शिक्षक फेल हुए है; अच्छा होगा कि TET जैसी परीक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से पूर्व ही ले ली जाए।

Dr. Mukesh Pancholi

आयोग ने सिफारिशों में कहा कि शिक्षकों की शिक्षा के विषय को उच्च शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए। TET परीक्षा का उद्देश्य RTE, Act 2009 के तहत् गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है, और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाना है।

Dr. Mukesh Pancholi